

राजस्थान सरकार  
वित्त (राजस्व) विभाग

क्रमांक प.1(4)वित्त/राजस्व/17

जयपुर, दिनांक— 13.07.2017

आज्ञा

राजस्थान लेखा सेवा नियम, 1954 के नियम 31 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर उक्त सेवा के सुपर टाईम संवर्ग में स्थाई रूप से नियुक्त निम्नांकित अधिकारियों को उनके नाम के समुख अंकित रिक्ति की तिथि/पद उपलब्धता की तिथि से वर्ष 2017–18 की रिक्तियों के विरुद्ध उक्त नियमों के नियम 28 ए के उप नियम (7) के तहत चयन के फलस्वरूप राजस्थान लेखा सेवा के हायर सुपर टाईम संवर्ग में स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया जाता है :—

क्र.सं.	नाम अधिकारी	वर्ग	पद रिक्ति/उपलब्धता की तिथि
1.	श्री सिरमोर मीणा	(अजजा)	01.11.2017
2.	श्री मेवाराम जाट		01.02.2018

पदोन्नति अधिकारियों की पारस्परिक वरिष्ठता (Inter-se seniority) यथावत रहेगी।

उपर्युक्त अधिकारीगण पदोन्नति के उपरान्त अपने वर्तमान पद को अस्थाई रूप से यथा आवश्यकता कमोन्नत मानते हुये कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्य करते रहेंगे।

पदोन्नति पर वास्तविक परिलाभ कार्यग्रहण की तिथि से देय होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(प्रवीण गुप्ता)

शासन सचिव, वित्त (राजस्व)

प्रतिलिपि:— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर। 13/3/XVII  
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।  
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव।  
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।  
5. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।  
6. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।  
7. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।  
8. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।  
9. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर।  
10. अतिरिक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) विभाग।  
11. संबंधित विभागाध्यक्ष।  
12. संबंधित अधिकारी।  
13. निजी/रक्षित पत्रावली।

13/7/17  
संयुक्त शासन सचिव